

के कारण अप्रार्थी संख्या 5 का नाम हलफ किया गया।  
अप्रार्थी संख्या 5 के फौत होने एवं उसके वारिसान का नाम पूर्व से ही रिकॉर्ड पर होने  
वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस करना चाहा।  
प्रप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।  
तहसीलदार कौली के उक्त प्रार्थना पत्र रेकॉर्ड्स के इस न्यायालय में  
प्रति संलग्न की है।

नामांतरकरण संख्या 146 दिनांक 15.05.1976, नामांतरकरण संख्या 49 दिनांक 25.05.1992, नामांतरकरण संख्या 379 दिनांक 18.11.2010, जमाबन्दी समेत 2073 से 2076 की  
उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी समेत 2015, नामांतरकरण संख्या 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाल, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947  
में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है को बापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए  
आराजी खसरा नंबर 1164 रकबा 0-12 बीघा बाकें ग्राम दीपपुरा को बापस राजकीय भूमि में 10 मीटर नाली दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निर्देश किया है।  
संख्या 1536/2012 अर्जुल रहमान बनारस सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश  
एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका  
निजी खातेदारी अधिकार उद्घरण नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अधिकतम इस्तारण अवैध  
अन्तगत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाल, जलाशयों आदि की भूमि पर  
नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान कंशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के  
सूकदी, होमला पुरिया दौली, जाति जाटव सा.देह तहसील कौली जिला कौली के  
जमाबन्दी समेत 2073 से 2076 तक में जारिय विरासत प्रकाश पुत्र दौली, कमला,  
दीपपुरा के नाम जारिए आवंटन/निधन/हिकी से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान  
परन्तु नामांतरण संख्या 146 द्वारा किस्म बारानी 3 से श्री दौली पुत्र श्री सुकदी निवासी  
(नवीन राजस्व ग्राम दीपपुरा) समेत 2015 एवं इसके पश्चात् श्री.म. नाली दर्ज रिकॉर्ड था  
लौह होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 1164 रकबा 0-12 बीघा ग्राम माथी  
आराजी खसरा नंबर 1164 रकबा 0-12 बीघा ग्राम दीपपुरा तहसील कौली का प्रार्थी  
ने अप्रार्थीयान के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रेकॉर्ड्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि  
प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिदारी तहसीलदार कौली

दिनांक-17.09.2019

### निर्णय

रेकॉर्ड्स अंतर्गत धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम 1956

1. प्रकाश पुत्र दौली जाति जाटव निवासी माथी जारिया
2. कमला पति हेमराज पुत्री दौली जाति जाटव निवासी अम्बडकर नगर, तहसील  
गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर
3. सुकदी पति रतन पुत्री दौली जाति जाटव निवासी बस स्टैंड के पास नई कौली,
4. होमला पति इन्दर पुत्री दौली जाति जाटव निवासी बस स्टैंड के पास नई  
कौली, सूर्यत तहसील डिण्डौन जिला कौली
5. सोमोती पति दौली (फौत-नाम हलफ)

सरकार जारिय तहसीलदार कौली तहसील कौली जिला कौली - प्रार्थी

### उत्तदान

पीठस्थीन अधिकारी नन्मल पहारिया, आई.ए.एस.

न्यायालय जिला कलेक्टर कौली

बहस उभय पक्षकारान र्गनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि आराली खसरा नंबर 1164  
रकबा 0-12 बीघा ग्राम मांठी (नवीन राजस्व ग्राम दीपपुरा) सम्वत 2015 एवं इसके  
पहचाने गै.म. नाली दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरण संख्या 146 से किस्म बाराही-3 से  
श्री दौली पुत्र मुकंदी निवासी आदि जाटव जाटव निवासी दीपपुरा के नाम जसिरे  
आवदन/नियमन/डिर्की से दर्ज कर दिया गया। सम्वत 2073-76 में यह भूमि प्रकाश  
पुत्र दौली, कमला, सुकंदी, हिमला पुत्रियां दौली, जाति जाटव सा.देह के नाम दर्ज  
रिकॉर्ड है। राजस्थान कायतकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व  
रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाल, जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी  
अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अधिकृत हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही  
प्रभाव र्ण्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनरिल याचिका संख्या  
1536/2003 अर्जुन रहमान बराम सरकार से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक  
02.08.2004 के द्वारा नदी, नाल, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में  
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है को बापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए  
परिवर्तन का अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र रेफरेंस स्वीकार  
किये जाने का कथन किया है।

वकील अपार्थी ने बहस में कथन किया है कि अपार्थी आराली खसरा नं.  
1164 रकबा 0-12 बीघा ग्राम दीपपुरा का खातेदार कायतकार पचासी वर्षों से है और  
काबिल करत है। खसरा नं. 1164 रकबा 0-12 बीघा ग्राम दीपपुरा सम्वत 2015 में  
नाली दर्ज होने स्वीकार है। उक्त आराली सम्वत 2015 से पूर्व नाली भूमि नहीं रही है।  
उक्त भूमि में फसल कायत होती है भूमि नाली उपयोग में नहीं रही है ना अब आ रही है  
मौके पर कोई नाली नहीं है बल्कि काबिल करत भूमि है जो अपार्थीगण की आवंटित  
भूमि है जिसके सम्वत 2015 वक्त सैटिलमैट नाली भूमि के गलत इन्दाज हुए है। सम्वत  
2015 से पूर्व का नाली होने का कोई राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत नहीं  
किया है। स्वयं जेम्स डेविलर प्रार्थी की अभिज्ञा से भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा  
अपार्थीगण के पिता को आवंटित की गयी है जिस काफी लम्बा अर्सा हो चुका है।  
हस्तांतरण वैध व विधिवत है जिस प्रार्थी निरस्त कराने का अधिकारी नहीं है प्रार्थी अपने  
एवंट अपोन से एस्टीपड है। मद 4 में दर्ज प्रकरण से दिनांक 15.08.1947 का राजस्व  
रिकॉर्ड रिकर्ग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में प्रस्तुत किया गया था  
जिसके आधार पर यह निर्णय पारित किया गया था जबकि उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा  
दिनांक 15.08.1947 का कोई राजस्व रिकॉर्ड रेफरेंस का पत्रावली में रेफरेंस के साथ  
प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्टित होता है कि भूमि दिनांक 15.08.1947 को  
नाली भूमि थी इस स्थिति में रेफरेंस प्रार्थी विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है और  
हस्तांतरण खारिज किये जाने योग्य है। रेफरेंस का मद नं. 5 वाकत सहचाला है प्रार्थी द्वारा  
रेफरेंस के साथ दिनांक 15.08.1947 का राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक  
15.08.1947 को भूमि नाली भूमि रही हो साबित नहीं होने से एवं काफी लम्बे अर्से के  
बाद यह रेफरेंस प्रस्तुत करने के कारण भी चलने योग्य नहीं होकर खारिज किये जाने  
योग्य है। अंत में रेफरेंस प्रार्थना पत्र को मध्य खर्चा खारिज करने का निर्वेदन किया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते  
हुए मनन किया। जमाबन्दी सम्वत 2015 के अनुसार सिवलयक बिना नगानी आराली  
खसरा नंबर 1164 रकबा 0-12 बीघा गै0 मू0 नाली दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतरण  
संख्या 146 के अनुसार आराली खसरा नंबर 1164 किस्म बाराही 3 रकबा 0-12 श्री  
दौली पुत्र मुकंदी निवासी दीपपुरा के नाम दिनांक 15.05.1976 को स्वीकार किया है।  
नकल जमाबन्दी सं0 2073 लगायत 2076 के अनुसार खसरा नंबर 1164 किस्म  
बाराही-3 रकबा 0-12 प्रकाश पुत्र दौली, कमला, सुकंदी, हिमला पुत्रियां दौली, जाति

रजु  
बिना कतार  
कथन

कयौली  
जिला कमन्डर  
(नर्मल पहलिया)



सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर

पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

0-12 बीघा को बापस राजकीय भूमि में 10 मी० नाली दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम दीपपुरा की आराली खसरा नंबर 1164 रकबा अतः भूमिधारी तहसीलदार कयौली का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R.

जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विरुद्ध निर्णय में है। 10वीं स्थित जनहित याचिका संख्या 1536/2012 अर्जुन रहमान बंनम सरकार इस प्रकार यह अधिकतम हस्तान्तरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव डालने से निरस्त योग्य नदी, नाल, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी जाटव सा.देह अधिकतम है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में 10 मी० नाली दर्ज थी

तारीख रज-20.02.2019

2019/00062

प्रकरण संख्या 14/2019